विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र/ VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM

मुख्य नियंत्रक का कार्यालय/ CHIEF CONTROLLER'S OFFICE

सं.वीएसएससी/मु. नि./ओ-1/2024
No. VSSC/C.CON/0-1/2024

सितंबर/September 26, 2024

कार्यालय आदेश सं./ OFFICE ORDER No. 159

वीएसएससी अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय की पीटीए कार्यकारी समिति (पीटीए-ईसी) तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है:

The VSSC Space Central School PTA Executive Committee (PTA-EC) is re-constituted as follows with immediate effect:

वीएसएससी -अंतरिक्ष केंद्रीयं विद्यालय, पीटीए -कार्यकारी समिति VSSC - SPACE CENTRAL SCHOOL, PTA – EXECUTIVE COMMITTEE				
1.	डॉ. बीना प्रभा Dr. Beena Prabha	प्रधानाचार्या Principal		अध्यक्षा Chairperson
अध्यापक प्रतिनिधिगण **Teacher Representatives**				
क्र.सं. Sl. No	अध्यापक प्रतिनिधियों का नाम Name of Teacher Representatives	कक्षा Class	एससी सं. SC No. (VS)	पदनाम Designation
1	श्रीमती नान्सी नैनान Smt. Nancy Ninan	I	14097	प्राथमिक अध्यापक Primary Teacher
2.	श्रीमती अभिला वी के Smt. Abhila V K	II	10413	प्राथमिक अध्यापक Primary Teacher
3.	श्री गोस्वामी अतुलेश एस Shri. Goswami Atulesh S	III	11679	प्राथमिक अध्यापक Primary Teacher
4.	श्रीमती अंजलि एम वी Smt. Anjali MV	IV	10410	प्राथमिक अध्यापक Primary Teacher
5.	श्रीमती सनूजा ए Smt. Sanooja A	V	36797	प्राथमिक अध्यापक Primary Teacher
6.	श्रीमती पल्लवी शर्मा Smt. Pallavi Sharma	VI	14430	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक Trained Graduate Teacher
7.	श्रीमती सरिता आर पी Smt. Saritha RP	VII	36777	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक Trained Graduate Teacher
8.	श्रीमती जूडी डायस Smt. Judy Dious	VIII	12394	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक Trained Graduate Teacher
9.	श्री लिजिन गोल्डन Shri. Lijin Golden	IX	33236	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक Trained Graduate Teacher
10.	श्रीमती अनिता पी Smt. Anitha P	X	30150	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक Trained Graduate Teacher
11	श्रीमती चित्रलेखा एस Smt. Chitralekha S	XI	11023	वरि. स्केल स्नातकोत्तर अध्यापक Sr. Sc. Post Gra. Teacher
12.	श्रीमती रम्या आर कुरुप Smt. Ramya R Kurup	XII	25852	स्नातकोत्तर अध्यापक Post Graduate Teacher

माता-पिता प्रतिनिधिगण **Parent Representatives**					
क्र. सं. Sl. No	मात-पिता सदस्य का नाम Name of Parent Member	कक्षा Class	एससी सं. SC No. (VS)	पदनाम Designation	प्रभाग Division
1.	श्री अनीश वी आर Shri. Aneesh VR	I	10239	वरि. परि. सहायक Sr. Proj. Asst.	टीएमए/टीओएमडी TMA/TOMD
2.	श्री जिनीश पी Shri. Jineesh P	II	12382	तकनीशियन जी Technician G	ईएसजी/ईएसडीडी ESG/ESDD
3.	श्री धुलिपुडी एल नागबाबु Shri. Dhulipudi L Nagababu	III	11266	तकनीशियन डी Technician D	एलएमआइजी/एम आइएफ LMIG/MIF
4.	श्री मोहम्मद इशाम पी एच Shri.Mohammed Isham PH	IV	13669	तकनीशियन डी Technician D	सीपीएमजी/सीएसए मडी CPMG/CSMD
5.	श्रीमती निम्मी के विश्वनाथन Smt. Nimmi K. Viswanathan	V	13991	वैयक्तिक सचिव Per. Secretary	पीएसीसी PACC
6.	श्री मुहम्मद एन Shri. Muhammed N	VI	13474	वरि. तक. सहा.- ए Sr. Tec.Asst. A	एसओडीजी/ओएई डी SODG/OAED
7.	श्रीमती बिंदु एस आर Smt. Bindhu SR	VII	10578	वरि. सहायक Sr. Assistant	पीएसडी/क्रय PSD/PUR
8.	श्रीमती सिमी इस्माईल Smt. Simi Ismail	VIII	36800	वरि. सहायक Sr. Assistant	एसपीएल SPL
9.	श्री बालकृष्णन तेक्केकरा Shri. Balakrishnan Thekkekara	IX	10644	तकनीशियन जी Technician G	सीएमजी/सीएमडी CMG/CMD
10.	श्री सेंतिल कुमार Shri. Senthil Kumar	X	27347	वैज्ञा/इंजीनियर एसजी Sci/Engr SG	पीसीएम/पीपीईसी PCM/PPEC
11.	श्री सुनिल कुमार आर Shri. Sunil Kumar R	XI	36206	वरि. तकनीशियन ए Sr. Tech. A	एसएमजी/एलएसए मडी SMG/LSMD
12.	श्री बाबु राज पी पी Shri. Babu Raj PP	XII	20812	वैज्ञा/इंजीनियर एसई Sci/Engr SE	एडीआरडी/सीएम जी ADRD/CMG

पीटीए की भूमिका, उद्देश्य, लक्ष्य, दायित्व आदि निम्नानुसार हैं:
The role, aim and objectives, responsibilities etc., of PTA are as follows:

I. पीटीए की भूमिका, उद्देश्य और लक्ष्य
Role, Aim and Objectives of PTA

i) पीटीए, छात्रों की समग्र समुन्नति तथा वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा की गुणता को सुधारने हेतु माता-पिता और अध्यापकों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने एवं बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा। वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा और सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों की समुन्नति हेतु

vi) X और XII की कक्षाओं के माता-पिता सदस्यों (क्रम संख्या 10 और 12) का कार्यकाल संबंधित शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर, यानी 31 मार्च 2025 तक, स्वयं समाप्त हो जाएगा और शैक्षिक वर्ष 2025-2026 की नई प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने के बाद जुलाई 2025 तक कक्षा I और XI के लिए नए माता-पिता सदस्यों का चयन/चुनाव किया जाना है।

The term of Parent Member for class X and class XII (Sl. No. 10&12) shall automatically cease at the end of respective academic year, ie.by 31st March, 2025 and new Parent Members for Class I and XI are to be selected/elected, after closing the new admission process for 2025 – 2026 academic year by July 2025.

III. सदस्यता / Membership

i) वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे किसी बच्चे के हर माता-पिता पीटीए के सदस्य होंगे और उनका बच्चा वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय का छात्र नहीं रह जाने पर उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। तथापि, इसरो-इतर माता-पिता पीटीए –ईसी में किसी भी कक्षा के माता-पिता प्रतिनिधि बनने के लिए पात्र नहीं हैं।

Every parent of a child studying in the VSSC Central School shall be member of the PTA and the membership shall lapse immediately on their ward ceasing to be student of the VSSC Central School. However, non-ISRO parents are not eligible to become a 'Parent Representative' for any class in the PTA – EC.

ii) वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय के सभी स्थाई अध्यापक कर्मचारी पीटीए के सदस्य होंगे।

All permanent teaching staff of the VSSC Central School shall be members of the PTA.

IV. पीटीए-ईसी के पदाधिकारी/कर्तव्य/प्रबंधन/ बैठक
Office bearers/Duties/Management/Meeting of PTA – EC

i) वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्या पीटीए की पदेन अध्यक्षा होंगी और पीटीए की सभी बैठकों को प्राधिकृत करेंगी और अध्यक्षता करेंगी।

Principal, VSSC Central School shall be the ex-officio Chairperson of the PTA and shall authorize and preside over all meetings of the PTA.

ii) पीटीए ईसी के सचिव और संयुक्त सचिव, पीटीए ईसी को कार्यकारी समिति के कुल सदस्यों द्वारा क्रमशः माता-पिता कार्यकारी समिति के सदस्यों और अध्यापक कार्यकारी समिति के सदस्यों से चुना जाएगा (यानी, 12 माता-पिता सदस्य पीटीए सचिव का चयन करेंगे और 12 अध्यापक सदस्य संयुक्त सचिव का चयन करेंगे)। टाइ की स्थिति में अध्यक्षा निर्णायक मत का प्रयोग करेंगी।

Secretary of the PTA EC and Joint Secretary, PTA EC shall be elected from amongst the Parent Executive Committee Members and Teacher Executive Committee Members respectively by the total Executive Committee Members (ie.12 parent members shall select the PTA Secretary and 12 teacher members shall select the Joint Secretary). In case of a tie, the Chairperson will exercise a casting vote.

iii) पीटीए ईसी बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलेखित करने, अनुमोदित कार्यवृत्त जारी करने एवं वार्षिक रिपोर्ट आलेखित करने के लिए सचिव, पीटीए ईसी ज़िम्मेदार होंगे।

The Secretary, PTA EC shall be responsible for recording the proceedings of the PTA EC meeting, issuing approved minutes of meetings and drafting the annual report.

विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी सदस्यों और माता-पिता समुदाय के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने तथा बढ़ावा देने के लिए पीटीए ज़िम्मेदार होगा।
The PTA shall function as an interfacing body to promote and enhance the interaction between parents and teachers for the overall betterment of students and improve the quality of education in VSSC Central School. The PTA shall be responsible to promote and enhance the interaction between teaching staff members of the School and the parent's community for betterment of education and co-curricular activities of VSSC Central School.

ii) पीटीए, छात्रों की समुन्नति के लिए माता-पिताऔर अध्यापकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करेगा।
The PTA shall ensure harmonious relations between parents and teachers for betterment of the students.

II. <u>पीटीए -कार्यकारी समिति (पीटीए-ईसी)</u>
<u>PTA – Executive Committee (PTA – EC)</u>

i) पीटीए के कार्य-कलापों का प्रबंधन पीटीए -कार्यकारी समिति पर निहित होना चाहिए जिसमें 1 से XII वीं तक की कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले 12 माता-पिता सदस्य, 12 अध्यापक सदस्य और प्रधानाचार्या शामिल हैं जो पदेन अध्यक्षा हैं।
The Management of the affairs of the PTA shall be vested with the PTA – Executive Committee consisting of 12 Parent Members, 12 Teacher Members, both representing respective class from Class 1 to XII and the Principal who is the ex-officio Chairperson.

ii) पीटीए -कार्यकारी समिति के माता-पिता सदस्य का कार्यकाल, सतर्कता संबंधी स्वीकृति के अधीन, दो वर्षों तक या उस माता-पिता का बच्चा वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय का छात्र न रह जाने तक, जो भी पहले हो, होना चाहिए ।
The term of the Parent Members of PTA – Executive Committee shall be two years or till the child of the parent ceases to be a student of the VSSC Central School whichever is earlier, subject to vigilance clearance.

iii) पीटीए -कार्यकारी समिति का माता-पिता सदस्य माता या पिता या कानूनी संरक्षक हो सकता है जो इसरो कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त)हैं। प्रधानाचार्य, वीएसएससी सीएस द्वारा आयोजित कक्षा-वार बैठक के दौरान उनका चयन/चुनाव किया जाना चाहिए।
A Parent Member in the PTA – Executive Committee can either be mother or father or legal guardian, who is an ISRO employee (serving/ retired). They shall be selected/elected during the class wise meeting organized by the Principal, VSSC CS

iv) पीटीए -कार्यकारी समिति के कार्यकाल के दौरान, स्थानांतरण, पदत्याग और मृत्यु के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की स्थिति में प्रक्रिया का विधिवत् पालन करते हुए उसी ग्रुप से रिक्ति को भर लिया जाना चाहिए और निर्वाचित सदस्य केवल शेष अवधि के लिए पद पर रहेंगे
In the event of any vacancy occurring in the PTA Executive Committee during its term due to transfer, resignation and death or otherwise, the vacancy shall be filled up from the same group duly following the procedure and the elected member shall hold office for the rest of the period only.

v) X और XII की कक्षा के माता-पिता सदस्यों को छोडकर, उपर्युक्त सभी माता-पिता सदस्य आगामी शैक्षिक वर्ष में (यानी 2025-26) अगले उच्चतर कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।
All the above Parent Members, except for class X and XII, shall represent next higher classes in next academic year (ie. 2025 – 2026).

iv) संयुक्त सचिव, पीटीए अध्यक्षा के साथ परामर्श करते हुए पीटीए ईसी की सभी बैठकों का आयोजन करेंगे। वे पीटीए की पंजियों एवं अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे/करेंगी और सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के रूप में कार्य करेंगे/करेंगी।
Joint Secretary, PTA shall convene all meetings of the PTA EC in consultation with Chairperson. He/She shall maintain the registers and records of the PTA and in the absence of the Secretary, shall act for him/her as the Secretary.

v) पीटीए के कार्य-कलापों को चलाने के लिए कार्यकारी समिति की बैठकें, ऐसी बैठक में विचारणीय कार्यसूची निर्दिष्ट करते हुए सभी सदस्यों को लिखित रूप में तीन दिन की स्पष्ट सूचना देने के बाद, वर्ष में कम-से-कम तीन बार बुलाई जानी चाहिए। कोरम पूरा करने के लिए पीटीए-ईसी के कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक होना चाहिए लेकिन पहले स्थगित की गई किसी बैठक के लिए कोई कोरम का होना आवश्यक नहीं होगा।
The Executive Committee shall meet a minimum of three times a year to transact the affairs of the PTA after giving three day's clear notice in writing to all its members, specifying the agenda to be considered at such meeting. At least 1/3 of the total strength of the PTA - EC shall be necessary to form a quorum, but no quorum shall be necessary for a meeting earlier adjourned.

vi) ईसी के किसी पांच सदस्यों द्वारा सचिव से किए गए विशेष मांग पर ईसी की असाधारण बैठक ईसी के सभी सदस्यों को तीन दिन की स्पष्ट सूचना देने के बाद बुलाई जाए।
On special requisition made by any five members of the EC addressed to the Secretary, an extra ordinary meeting of the EC may be convened after giving three days' notice to all members of the EC.

vii) पीटीए - ईसी के निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर किए जाने चाहिए और टाइ की स्थिति में अध्यक्षा निर्णायक मत का प्रयोग करेंगी।
Decisions of the PTA - EC shall be taken on the basis of simple majority and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

viii) कार्यकारी समिति द्वारा पर्याप्त सूचनाएं देते हुए तथा कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पीटीए-ईसी के उन माता-पिता सदस्यों को हटाया, निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है जो समिति की राय में पीटीए की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचानेवाले या उसे गिरानेवाले पाए जाते हैं या जिन्होंने नियम के विरुद्ध कार्य किया है। आम सभा की अगली बैठक में इस प्रस्ताव की पुष्टि की जानी चाहिए।
The Executive Committee may, by giving sufficient notices and on a resolution passed by at least two-third of its members, remove, suspend or expel any parent members of PTA – EC who in its opinion has been guilty of conduct calculated to injure or bring disrepute of the PTA or who has acted contrary to these rules. This should be conformed to the general body in its next meeting.

V. पीटीए के पारिश्रमिक/वित्त एवं सामान्य सभा
Remuneration/Finance & General Body of PTA

i) पदाधिकारियों को कोई पारिश्रमिक/सिटिंग फी देय नहीं होना चाहिए।
No remuneration/sitting fee shall be payable to the Office bearers.

ii) पीटीए को किसी निधि का संग्रहण या अनुरक्षण नहीं करना चाहिए या विद्यालय के छात्रों के लिए वर्दी, किताबें आदि की बिक्री और खरीद में शामिल नहीं होना चाहिए।

The PTA shall not collect or maintain any funds or be involved in sale and purchase including uniforms, books etc., for school children.

iii) वित्त-वर्ष की समाप्ति से छः महीने के अंदर पीटीए की वार्षिक बैठक बुलाई जानी चाहिए। पीटीए की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत किसी अन्य कार्य को चलाने हेतु पीटीए के सभी सदस्यों को ऐसी बैठक की तिथि और स्थान के संबंध में कम-से-कम 7 दिनों की सूचना दी जानी चाहिए।
The Annual meeting of the PTA shall be held within six months from the close of the financial year. At least 7 days' notice for the date and place of such meeting shall be given to all members of the PTA for presenting the Annual Report of the PTA and to transact any other business recommended by the Executive Committee.

iv) चाहे वार्षिक हो या असाधारण, आम सभा बैठक का कोरम पूरा होने के लिए 50 माता-पिता सदस्य वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने चाहिए लेकिन पहले स्थगित की गई किसी बैठक के आयोजन के लिए कोई कोरम का होना आवश्यक नहीं होगा जब तक वह बैठक सदस्यों की मांग से बुलाई नहीं गई है ।
The quorum for the general body meeting, whether annual or extraordinary shall be 50 parent members personally present but no quorum shall be necessary for an adjourned meeting unless it is a meeting called by the members through requisition.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of competent authority.

2/4/19

(मनोज सी/ Manoj C)
मुख्य नियंत्रक/ Chief Controller

सेवा में/ To

पीटीए कार्यकारी समिति की अध्यक्षा एवं सदस्य
Chairperson &Members of PTA Executive Committee

प्र.प्रे./ Copy to: -प्रशा. अधिकारी, एससीएस/ AO, SCS
वरि. प्रधान लेखा एवं आंविस, वीएसएससी/ Sr. Head Accounts & IFA, VSSC
वरि. प्रधान पीजीए, वीएसएससी/ Sr. Head PGA, VSSC

निदेशक, वीएसएससी - सादर सूचनार्थ
Director, VSSC - for kind information